



कार्यालय:-वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा।

E-mail - dfo-simdega@gov.in

Mobile No - 8987790117

Pin Code - 835235

पत्रांक- 1717 दिनांक- 08/8/2025

सेवा में,

श्री दीपक लेंका, (युनिट हेड)
हिण्डाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,
चकला कोल ब्लॉक, चंदवा,
प्लॉट नं०-894, कंचारीनगरी,
पोस्ट + थाना - चंदवा,
जिला - लातेहार, झारखंड
पिन नं०-829203

विषय :- मौजा-पिथरा, थाना-सिमडेगा, थाना सं०-48, जिला-सिमडेगा के विभिन्न प्लॉटों का कुल रकबा-19.72 एकड़ रैयती भूमि का क्षतिपूरक वनरोपण योजना हेतु संशोधित 20 वर्षीय प्राक्कलन के संबंध में।


प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक-1469 दिनांक-16.07.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि लातेहार जिला अन्तर्गत चकला कोल ब्लॉक चंदवा में कोयला खान हेतु आवंटित वनभूमि अपयोजन के बदले इस प्रमंडल अन्तर्गत मौजा-पिथरा, थाना-सिमडेगा, थाना सं०-48, जिला-सिमडेगा के विभिन्न प्लॉटों का कुल रकबा-146.79 एकड़ भूमि का क्षतिपूरक वनरोपण योजना हेतु निर्गत उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं आपके द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के पक्ष में निबंधन, नामांतरण एवं हस्तांतरण किये जाने के उपरांत रकबा 11.50 एकड़ एवं 8.22 एकड़ कुल 19.72 एकड़ क्षतिपूरक वनरोपण योजना का 10 वर्षीय प्राक्कलन वर्तमान मजदूरी के दर पर तैयार कर भेजी गई थी। जिसे संशोधित कर 20 वर्षीय संशोधित प्राक्कलन वर्तमान मजदूरी के दर पर तैयार कर 07-07 प्रतियों में पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। यदि प्राक्कलन में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अथवा भविष्य में मजदूरी दर में अत्याधिक वृद्धि होने पर अतिरिक्त राशि प्रयोक्ता अभिकरण को देय होगा।

अनु०-यथोक्त।


DEEPAK LENKA
Unit Head
Hindalco Industries Ltd.
Chakla Coal Mines Chandwa

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा।
08/8/2025

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा

1 योजना का नाम -

M/s Hindaico Industries Ltd. के द्वारा चकला कॉल ब्लॉक, चन्दवा, जिला-लातेहार अन्तर्गत अपयोजित की जानेवाली वनभूमि के बदले 20 वर्षीय क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्रावकलन

3 प्रकल्प का नाम

सिमडेगा वन क्षेत्र।

4 स्थल का नाम -

विथरा

धाना नं० - सिमडेगा/48

5 पौधों की संख्या -

1100 पौधे/हे०

6 कुल पौधों की संख्या

3660 पौधे

7 एकका

3.327 हे०

8 प्लॉट नं०

2349, 2350, 2355

(A) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2025-26

मजदूरी दर -

422.00

क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी	सागरी/हे०	कुल मानव दिवस	कुल मजदूरी	कुल सागरी	कुल प्राक्कलित राशि	अनुमति
1	एच सीमांकन	हे०	3.00	1266.00	50.00	9.98	4,211.98	169.35	4,378.33	
2.1	प्राची राखाई (पानी झाड़ी)	हे०	10.00	4220.00	0.00	33.27	14,039.94	-	14,039.94	
2.2	लैंटना को जड़ सहित उखाड़कर 10 मीटर दूरी तक संग्रहण कर जलाने का कार्य			0.00	0.00	0.00				
2.3	गहली नार माह सितम्बर-नवम्बर		50.00	21100.00	14500.00	166.35	70,199.70	48,241.50	1,18,441.20	
2.4	दूसरी नार दिसम्बर-फरवरी		35.00	14770.00	0.00	116.46	49,139.79	-	49,139.79	
3	घेसान कार्य	हे०								घेसान स्थल निर्धारित होगा।
3.1	आरसीसी पीलर 41 सं० 886.00 च० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7x4x4" का निर्माण एवं 1x1x2" का गड्ढा में दलाई कर लगाने का कार्य			15826.00	23739.00		62,653.10	78,979.65	1,31,632.76	
3.2	आरसीसी पोस्ट 1 point ply 1.5w, 15cm apart 1.5x3" च० प्रति फिटिंग (फीडरस्टील सहित Item No. 31/A4215) की दर से 144.65 सी (7 लाईन एवं 2 लाईन)				11933.63			39,703.19	39,703.19	
3.3	कंटीला तार को खींचने, सीधा करने, खोल बंधादि लगाने का कार्य सहित।		3.81	1607.62	0.00	12.68	5,349.22	-	5,349.22	तार का वन विभाग/GSO के प्रभार से किया जाएगा।
3.4	आरसीसी पीलर एवं कंटीले तार की कार्य स्थल तक दलाई 15% of (3.1+3.2)				7724.79	0.00		25,700.38	25,700.38	
3.5	घेसान में PVC जाली, बांस इत्यादि से फेंसिंग का सुदृढीकरण (खमीन से 2 फीट ऊंचा)	LS			8146.28	0.00		27,102.67	27,102.67	
4	मृदा कार्य - पौधा लगाने हेतु (60cm X 60cm X 60cm) आकार का गड्ढा बनाना @0.17 मानव दिवस	हे०	187.00	78914.00	0.00	622.00	2,62,484.00	-	2,62,484.00	
5	मृदा कार्य - जल संयोजक का कार्य हेतु 120 कंटर ड्रॉब साईज साईज 5 मी० X 0.30 मी० X 0.30 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा हथकी मिट्टी का नीचे कठाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोढ़नी कर रखा जाना।		55.00	23210.00	0.00	183.00	77,226.00	-	77,226.00	
6	फिफ्ट डिटेन्शन डेन, बेकडैम, रिटेंगिंग एवं ड्रेस्ट वाल, टो वाल, रपर एवं टोरेस्ट नियंत्रण कार्य आदि।	हे०	25.00	10550.00	0.00	83.00	35,026.00	-	35,026.00	
7	गली धरमिंग	हे०	10.00	4220.00	0.00	33.00	13,926.00	-	13,926.00	
8	लेबर सेरा का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00			1756.84	0.00	5,842.58	5,842.56	
	योग -		378.81	1,76,883.82	67,850.64	1,259.72	6,84,256.73	2,25,736.30	8,09,992.03	
9	विभिन्न कार्य (अनुश्रवण मूल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00			16992.10		55,201.92	55,201.92	
10	प्रवेश बिन्दु कार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का 15 प्रतिशत		0.00			0.00		-	3,68,494.68	
	योग -		378.81	1,76,883.82	67,850.64	1,259.72	6,84,256.73	2,80,938.21	12,53,688.63	

(B) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2026-27

मजदूरी दर -

485.30

क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सागरी/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सागरी	कुल व्यय	अनुमति
1	पौधा (प्लान्ट 0 फीट) का एवं परिवहन 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित (130X/105 च० प्रति पौधा)				138600.00	0.00		4,61,122.20	4,61,122.20	
2	वृक्षारोपण (0.0225 मानव दिवस प्रति पौधा)	हे०	24.75	12011.18	0.00	82.34	39,961.18	-	39,961.18	
3	पौधा को सहाय देने हेतु बूँटा का उपयोग करना (0.02 माउण्टि प्रति पौधा एवं 10.00 च० सागरी प्रति पौधा)		22.00	10676.60	11000.00	73.19	35,521.05	36,597.00	72,118.06	
3	तीन निर्याती एवं कोढ़नी (0.08 मानव दिवस प्रति पौधा)	हे०	66.00	32029.80	0.00	219.58	1,03,563.14	-	1,06,563.14	
5	पौधा की सुरक्षा	स्थल	275.00	133457.50	0.00	275.00	1,33,457.50	-	1,33,457.50	26 हे० तक की हेतु 1 पशुस्तक एवं उससे अधिक हेतु 2 पशुस्तक
6	सागरी (बीज, उपरक, खाद रसायन आदि 6.00 च० प्रति पौधा)	हे०	0.00	0.00	4950.00	0.00	-	16,488.65	16,488.65	
7	जैविक खाद का उपयोग (1 कि०ग्रा प्रति पौधा)	हे०	0.00	0.00	22000.00	0.00	-	73,194.00	73,194.00	
8	पटवन आवश्यकतानुसार (0.09 मानव दिवस प्रति पौधा)		99.00	48044.70	0.00	329.37	1,59,844.72	-	1,59,844.72	
9	फोसिंग+मशीन+टैंक	LS						6,00,000.00	6,00,000.00	10 हे० तक 01 बोरिंग 10 हे० से 30 हे० तक 02 बोरिंग, 30 हे० से 50 हे० तक 03 बोरिंग
10	पटवन के लिए बीजल (वार माह हेतु)	LS						29,212.80	29,212.80	
11	विभिन्न कार्य (अनुश्रवण मूल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				25030.60			63,276.81	83,276.81	
12	लेबर सेरा का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2382.20	0.00		4,753.48	4,753.48	
	कुल -		486.75	236219.78	203942.80	979.49	4,75,347.59	13,04,524.93	17,79,972.52	

(C) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2027-28

मजदूरी दर -

558.10

क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सागरी/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सागरी	कुल व्यय	अनुमति
1	दो कोढ़नी निर्याती (0.04 मानव दिवस प्रति पौधा)	हे०	44.00	24556.40	0.00	146.39	81,699.14	-	81,699.14	
2	सागरी (बीज, उपरक, कम्पोस्ट खाद बी.ए.पी. /सुरिया/जैविक मिट्टानाशक आदि)4.5/च० प्रति पौधा)	हे०	0.00	0.00	4950.00	0.00	-	16,468.65	16,468.65	
3	पौधा की सुरक्षा	स्थल	365.00	203706.50	0.00	365.00	2,03,706.50	-	2,03,706.50	

DEEPAK LENKA
Unit Head
Hindaico Industries Ltd.
Chakla Coal Mines Chandwa

4	धेरान का गरमगी (5% of construction)			0.00	3268.32	0.00			10,940.24	10,940.24
5	मजदूरों का प्रतिस्थापन (0.135 मानव दिवस प्रति घंटा)		148.50	82977.85	0.00	494.08	2,75,734.61			2,75,734.61
6	मृदा पीछों का प्रतिस्थापन (10% पीछे/1:10 पीछे/है. पीछा मानव दिवस 0.033 एवं प्रति पीछा सामग्री 105 रुको)		36.30	20259.03	11550.00	120.77	67,401.79		38,426.85	1,05,828.64
7	विशेष (अनुभव मूल्यांकन छायांकन, प्रसार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				11332.00	0.00			37,701.56	37,701.56
8	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3314.00	0.00			6,285.42	6,285.42
	कुल -		593.80	331399.78	34434.32	1126.22	6,28,542.04		1,09,822.73	7,38,364.77
(D)	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2028-29	मजदूरी दर -			641.81					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	दो कोठरी निकोनी (0.04 मानव दिवस प्रति घंटा)	हे०	44.00	28239.64	0.00	146.39	93,953.28		93,953.28	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद डी.ए.पी. /यूरिया/जैविक किटनाशक आदि)(4.5/रु० प्रति घंटा)	हे०	0.00	0.00	4950.00	0.00		16,468.65	16,468.65	
3	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	234280.65	0.00	365.00	2,34,280.65		2,34,280.65	
4	मृदा पीछों का प्रतिस्थापन (75 पीछे/1:10 प्रति घंटा मानव दिवस 0.06 एवं प्रति घंटा सामग्री 105 रुको)	हे०	4.50	2888.15	7875.00	14.97	9,608.86	28,200.13	35,808.98	
5	मजदूरों का प्रतिस्थापन (0.045 मानव दिवस प्रति घंटा)		49.50	31769.60	0.00	164.69	1,05,697.44		1,05,697.44	
6	विशेष कार्य (अनुभव मूल्यांकन छायांकन, प्रसार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				6697.00	0.00		22,280.82	22,280.82	
7	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2971.58	0.00		4,435.20	4,435.20	
	कुल -		483.00	297158.03	22493.58	691.05	4,43,920.23	69,384.80	5,12,965.13	
(E)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2029-30	मजदूरी दर -			738.08					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	दो कोठरी निकोनी (0.02 मानव दिवस प्रति घंटा)	हे०	22.00	16237.76	0.00	73.19	54,023.03		54,023.03	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद डी.ए.पी. /यूरिया/जैविक किटनाशक आदि)(4.5/रु० प्रति घंटा)	हे०	0.00	0.00	4950.00	0.00		16,468.65	16,468.65	
3	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	269399.20	0.00	365.00	2,69,399.20		2,69,399.20	
4	मृदा पीछों का प्रतिस्थापन (50 पीछे/हे० प्रति घंटा मानव दिवस 0.06 एवं प्रति घंटा सामग्री 105 रुको)	हे०	3.00	2214.24	5250.00	9.98	7,368.78	17,466.75	24,833.53	
5	विशेष कार्य (अनुभव मूल्यांकन छायांकन, प्रसार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				3763.50			12,521.16	12,521.16	
6	धेरान का गरमगी (5% of construction)				3288.32			10,940.24	10,940.24	
7	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2878.51	0.00		3,307.89	3,307.89	
	कुल -		398.00	287851.20	20130.33	448.18	3,30,789.00	60,704.70	3,91,493.70	
(F)	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2030-31	मजदूरी दर -			848.79					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	309808.35	0.00	365.00	3,09,808.35		3,09,808.35	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3098.08	0.00		3,098.08	3,098.08	
	कुल -		365.00	309808.35	3098.08	365.00	3,09,808.35	3,098.08	3,12,906.43	
(G)	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2031-32	मजदूरी दर -			976.11					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	356280.15	0.00	365.00	3,56,280.15		3,56,280.15	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3562.80	0.00		3,562.80	3,562.80	
	कुल -		365.00	356280.15	3562.80	365.00	3,56,280.15	3,562.80	3,59,842.95	
(H)	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2032-33	मजदूरी दर -			1122.53					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	409723.45	0.00	365.00	4,09,723.45		4,09,723.45	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4097.23	0.00		4,097.23	4,097.23	
	कुल -		365.00	409723.45	4097.23	365.00	4,09,723.45	4,097.23	4,13,820.68	
(I)	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2033-34	मजदूरी दर -			1290.91					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	471182.15	0.00	365.00	4,71,182.15		4,71,182.15	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4711.82	0.00		4,711.82	4,711.82	
	कुल -		365.00	471182.15	4711.82	365.00	4,71,182.15	4,711.82	4,75,893.97	
(J)	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2034-35	मजदूरी दर -			1484.54					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	541857.10	0.00	365.00	5,41,857.10		5,41,857.10	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	5418.57	0.00		5,418.57	5,418.57	
	कुल -		365.00	541857.10	5418.57	365.00	5,41,857.10	5,418.57	5,47,275.67	
(K)	सम्पोषण कार्य (ग्यारहवां वर्ष) 2035-36	मजदूरी दर -			1707.23					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	623138.95	0.00	365.00	6,23,138.95		6,23,138.95	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	6231.39	0.00		6,231.39	6,231.39	
	कुल -		365.00	623138.95	6231.39	365.00	6,23,138.95	6,231.39	6,29,370.34	
(L)	सम्पोषण कार्य (बारहवां वर्ष) 2036-37	मजदूरी दर -			1963.31					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	716608.15	0.00	365.00	7,16,608.15		7,16,608.15	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	7166.08	0.00		7,166.08	7,166.08	

क्रम सं०	वर्ष	प्रकार	मजदूरी दर	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अवधि
(M)	2037-38	सम्पोषण कार्य (तेरहवां वर्ष)	मजदूरी दर -			2257.81					
1	पीछी की सुखा (मानव दिवस प्रति हे०)	स्थल	365.00	624100.65	0.00	365.00	8,24,100.65	-	-	8,24,100.65	अवधि
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		8241.01	0.00	-	8,241.01	-	8,241.01	अवधि
	कुल -		365.00	624100.65	8241.01	365.00	8,24,100.65	8,241.01	-	8,32,341.66	
(N)	2038-39	सम्पोषण कार्य (चौदहवां वर्ष)	मजदूरी दर -			2596.48					
1	पीछी की सुखा (मानव दिवस प्रति हे०)	स्थल	365.00	947715.20	0.00	365.00	9,47,715.20	-	-	9,47,715.20	अवधि
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		9477.15	0.00	-	9,477.15	-	9,477.15	अवधि
	कुल -		365.00	947715.20	9477.15	365.00	9,47,715.20	9,477.15	-	9,57,192.35	
(O)	2039-40	सम्पोषण कार्य (पन्धहवां वर्ष)	मजदूरी दर -			2985.95					
1	पीछी की सुखा (मानव दिवस प्रति हे०)	स्थल	365.00	1089871.75	0.00	365.00	10,89,871.75	-	-	10,89,871.75	अवधि
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		10898.72	0.00	-	10,898.72	-	10,898.72	अवधि
	कुल -		365.00	1089871.75	10898.72	365.00	10,89,871.75	10,898.72	-	11,00,770.47	
(P)	2040-41	सम्पोषण कार्य (सोलहवां वर्ष)	मजदूरी दर -			3433.84					
1	पीछी की सुखा (मानव दिवस प्रति हे०)	स्थल	365.00	1253351.60	0.00	365.00	12,53,351.60	-	-	12,53,351.60	अवधि
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		12533.52	0.00	-	12,533.52	-	12,533.52	अवधि
	कुल -		365.00	1253351.60	12533.52	365.00	12,53,351.60	12,533.52	-	12,65,885.12	
(Q)	2041-42	सम्पोषण कार्य (सत्रहवां वर्ष)	मजदूरी दर -			3948.92					
1	पीछी की सुखा (मानव दिवस प्रति हे०)	स्थल	365.00	1441355.80	0.00	365.00	14,41,355.80	-	-	14,41,355.80	अवधि
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		14413.56	0.00	-	14,413.56	-	14,413.56	अवधि
	कुल -		365.00	1441355.80	14413.56	365.00	14,41,355.80	14,413.56	-	14,55,769.36	
(R)	2042-43	सम्पोषण कार्य (अठारहवां वर्ष)	मजदूरी दर -			4541.25					
1	पीछी की सुखा (मानव दिवस प्रति हे०)	स्थल	365.00	1657556.25	0.00	365.00	16,57,556.25	-	-	16,57,556.25	अवधि
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		16575.56	0.00	-	16,575.56	-	16,575.56	अवधि
	कुल -		365.00	1657556.25	16575.56	365.00	16,57,556.25	16,575.56	-	16,74,131.81	
(S)	2043-44	सम्पोषण कार्य (बीसवां वर्ष)	मजदूरी दर -			5222.44					
1	पीछी की सुखा (मानव दिवस प्रति हे०)	स्थल	365.00	1906190.60	0.00	365.00	19,06,190.60	-	-	19,06,190.60	अवधि
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		19061.91	0.00	-	19,061.91	-	19,061.91	अवधि
	कुल -		365.00	1906190.60	19061.91	365.00	19,06,190.60	19,061.91	-	19,25,252.51	
(T)	2044-45	सम्पोषण कार्य (बीसवां वर्ष)	मजदूरी दर -			6005.81					
1	पीछी की सुखा (मानव दिवस प्रति हे०)	स्थल	365.00	2192120.85	0.00	365.00	21,92,120.85	-	-	21,92,120.85	अवधि
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		21921.21	0.00	-	21,921.21	-	21,921.21	अवधि
	कुल -		365.00	2192120.85	21921.21	365.00	21,92,120.85	21,921.21	-	22,14,041.86	
							1,72,03,37.40	1,57,98.07		1,95,64,694.00	

वर्ष	कुल प्राक्कलित राशि
सम्पोषण कार्य (प्रथम वर्ष) 2025-26	12,53,688.63
सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) 2026-27	17,79,972.52
सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2027-28	7,39,364.77
सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2028-29	5,12,905.13
सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2029-30	3,91,493.70
सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2030-31	3,12,906.43
सम्पोषण कार्य (सातवां वर्ष) 2031-32	3,59,842.95
सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2032-33	4,13,820.68
सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2033-34	4,75,893.97
सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2034-35	5,47,275.67
सम्पोषण कार्य (ग्यारहवां वर्ष) 2035-36	6,29,970.34
सम्पोषण कार्य (बारहवां वर्ष) 2036-37	7,23,774.23
सम्पोषण कार्य (तेरहवां वर्ष) 2037-38	8,32,341.66
सम्पोषण कार्य (चौदहवां वर्ष) 2038-39	9,57,192.35
सम्पोषण कार्य (पन्धहवां वर्ष) 2039-40	11,00,770.47
सम्पोषण कार्य (सोलहवां वर्ष) 2040-41	12,65,885.12
सम्पोषण कार्य (सत्रहवां वर्ष) 2041-42	14,55,769.36
सम्पोषण कार्य (अठारहवां वर्ष) 2042-43	16,74,131.81
सम्पोषण कार्य (बीसवां वर्ष) 2043-44	19,25,252.51
सम्पोषण कार्य (बीसवां वर्ष) 2044-45	22,14,041.86
योग -	1,95,64,694.15
या	1,95,64,694.00

(एक करोड़ पंचानवे लाख चौसठ हजार छः सौ बीसवां) मात्र।
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या- 01-यो0ब0-30/2020-21 दिनांक-08.08.2024 द्वारा स्वीकृत दर के आधार पर एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम संख्या-13 के अनुसार 20 वर्षीय प्राक्कलन तैयार किया गया है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
 सिमडेगा वन क्षेत्र।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।

DEEPAK LENKA
 Unit Head
 Hindalco Industries Ltd.
 Chakla Coal Mines Chandwa

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा वन प्रमण्डल सिमडेगा।

1 मो. नं. का नाम - M/s Hindalco Industries Ltd. के द्वारा चकला कॉल ब्लॉक, चन्दवा, जिला-जातेहार अन्तर्गत अपयोजित की जानेवाली वनभूमि के बदले 20 वर्षीय कतिपयक भूधारोपण का प्राक्कलन

3 प्रकल्प का नाम - सिमडेगा वन क्षेत्र।

4 स्थल का नाम - मिधरा धाना नं० - सिमडेगा/48

5 पौधों की संख्या - 1100 पौधे/हे०

6 कुल पौधों की संख्या - 5122 पौधे

7 रकबा - 4.656 हे०

8 प्लॉट नं० - 1828 (अंश) 1906 (अंश)

(A) अधिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2025-26		मजदूरी दर -		422.00							
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल प्राक्कतित राशि	अभ्युक्ति	
1	सांकेतिक एवं सीमांकन	हे०	3.00	1266.00	50.00	13.97	5,894.50	232.80	6,127.30		
2.1	जाली सक्काई (वनी इकाई)	हे०	10.00	4220.00	0.00	48.56	19,648.32	-	19,648.32		
2.2	सैदाना को फंड सहित उखाड़कर 10 मीटर दूरी तक संयोजन कर जलाने का कार्य			0.00	0.00	0.00					
2.3	पहली बार गार्ड सिंतामर-नवाबर		50.00	21100.00	14500.00	232.80	98,241.60	67,512.00	1,65,753.60		
2.4	दूसरी बार सिंतामर-फरवरी		35.00	14770.00	0.00	162.96	68,769.12		68,769.12		
3	धेयान कार्य	हे०									धेयान स्थल विशिष्ट होगा।
3.1	आयतसी/सी० पीलर 41 सं० 865.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 75x4"x4" का निर्माण एवं 1'x1'x2' का गड्ढा में डलाई कर लगाने का कार्य			15826.00	23739.00		73,585.88	1,10,528.78	1,84,214.84		
3.2	आयतसी/सी० पीलर 1 point - 2'x2' 1/2" apart का गड्ढा में डलाई कर लगाने का कार्य				11933.83			55,562.98	55,562.98		
3.3	कंटीला तार को खींचने, सीमा करने, खोल हल्कादि समाने का कार्य सहित।		3.81	1607.82	0.00	17.74	7,486.01	-	7,486.01		रार का बंध विशिष्ट/डायरी के अनुसार हो सिका जाएगा।
3.4	आयतसी/सी० पीलर एवं कंटीले तार की कार्य स्थल तक कुलाई 15% of (3.1+3.2)				7724.78	0.00		35,968.62	35,968.62		
3.5	धेयान में PVC जाली, बांस हल्कादि से संकेतिक का सुव्यवस्थापन (अधीन से 2 फीट चौड़ा)	LS			3146.75	0.00		37,829.08	37,829.08		
4	मृदा - पीछा लगाने हेतु (60cm X 60cm X 60cm) आकार का गड्ढा बनाना @0.17 मानव दिवस	हे०	187.00	78914.00	0.00	871.00	3,67,562.00	-	3,67,562.00		
5	मृदा एवं जल संश्लेषण कार्य केंद्र पर 120 केंद्र ट्रेय साईज साईज 5 मी० X 0.30 मी० X 0.30 मी० का खोदा जाना जिसके बीच में 2 मी० से 3 मी० का त्रिभुज आकार का नीचे काठाल पर 0.15 मी० इट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोढ़नी कर रखा जाना।	हे०	55.00	23210.00	0.00	258.00	1,08,032.00	-	1,08,032.00		
6	सिस्ट फिटेशन डैम, चेकडैम, रिटैनिंग एवं बेसट बाल, टो बाल, स्पर एवं टोरेट निर्माण कार्य आदि।	हे०	25.00	10550.00	0.00	116.00	48,982.00	-	48,982.00		
7	माली प्लांटिंग	हे०	10.00	4220.00	0.00	47.00	19,834.00	-	19,834.00		
8	लेबर सेल का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00					8,181.05	8,181.05		
9	विशेष कार्य (अनुभवण मूल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		378.81	1,75,683.82	67,850.54	1,764.03	8,18,105.40	3,16,913.32	11,34,018.72		
10	प्रवेश बिन्दु कार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का 15 प्रतिशत		0.00						4,97,974.30		
			378.81	1,75,683.82	67,850.54	1,764.03	8,18,105.40	3,93,166.74	17,09,345.84		
(B) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2026-27		मजदूरी दर -		485.30							
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति	
1	पौधा (प्लान्टेशन 8 फीट) कच एवं परिवहन 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित (130x/105 रु० प्रति पौधा)				138800.00	0.00		6,45,321.60	6,45,321.60		
2	भूधारोपण (0.0225 मानव दिवस प्रति पौधा)	हे०	24.75	12011.18	0.00	115.24	55,924.03	-	55,924.03		
3	पौधों को सहायता देने हेतु खैरा का उपयोग करना (0.02 मजदूरी प्रति पौधा एवं 12.00 रु० सामग्री प्रति पौधा)			10676.60	11000.00	102.43	49,710.25	51,216.00	1,00,926.25		
3	सैन निर्यात एवं कोढ़नी (0.06 मानव दिवस प्रति पौधा)	हे०	66.00	32029.80	0.00	307.50	1,49,130.75		1,49,130.75		
5	पौधों की सुरक्षा	स्थल	275.00	133457.50	0.00	275.00	1,33,457.50		1,33,457.50		25 हे० तक हेतु 1 पशुसक एवं उससे अधिक हेतु 2 पशुसक
8	सामग्री (बीज, उपरक, खाद इत्यादि 6.00 रु० प्रति पौधा)	हे०	0.00	0.00	4950.00	0.00		23,047.20	23,047.20		
7	जैविक खाद का उपयोग (से वि०धा० प्रति पौधा)	हे०	0.00	0.00	22000.00	0.00		1,02,432.00	1,02,432.00		
8	पटवण आवश्यकतानुसार (0.09 मानव दिवस प्रति पौधा)		99.00	48044.70	0.00	460.94	2,23,896.12		2,23,896.12		
9	मोरिंग+मसोना+टैक	LS						6,00,000.00	6,00,000.00		10 हे० तक 01 चीरिंग 10 हे० से 30 हे० तक 02 चीरिंग, 30 हे० से 60 हे० तक 03 चीरिंग
10	पटवण के लिए डोजर (बार भाह हेतु)	LS						29,212.80	29,212.80		
11	विशेष कार्य (अनुभवण मूल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				25030.60			1,16,542.47	1,16,542.47		
12	लेबर सेल का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2362.20	0.00		8,119.19	8,119.19		
			485.76	236219.78	203942.80	1288.91	6,11,918.65	15,73,891.26	21,85,809.91		
(C) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2027-28		मजदूरी दर -		558.10							
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति	
1	से कोढ़नी निर्यात (0.04 मानव दिवस प्रति पौधा)	हे०	44.00	24558.40	0.00	204.86	1,14,334.60		1,14,334.60		
2	सामग्री (बीज, उपरक, कम्पोस्ट खाद डी.ए.पी. /दूरिवा/जैविक सिट्टानाक आदि) 4.5/रु० प्रति पौधा)	हे०	0.00	0.00	4950.00	0.00		23,047.20	23,047.20		

DREPAK LENKA
Unit Head
Hindalco Industries Ltd.
Chakla Coal Mines Chandwa

Jena
25/8/26

4	वेतन का म. (5% of construction)	स्थल	365.00	203706.50	0.00	5.00	2,03,706.50	15,310.42	2,03,706.50	15,310.42	3,85,879.27	1,48,102.84
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.135 मानव दिवस प्रति पीछा)		148.50	82877.85	0.00	691.42	3,85,879.27	63,776.80	94,328.04	52,761.79	52,761.79	7,982.46
6	पीछों का प्रतिस्थापन (10% पीछे 1:10 पीछे/हो, प्रति पीछा मानव दिवस 0.033 एवं प्रति पीछा सामग्री 108 रुको)		36.30	20259.03	11550.00	169.01						
7	विशेष कार्य (अनुभवक मूल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				11332.00	0.00					7,982.46	7,982.46
8	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3314.00	0.00					7,982.46	7,982.46
	कुल -		593.80	331399.78	34434.32	1430.29	7,98,246.41	1,52,878.67			9,51,125.89	

(D) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2028-29		मजदूरी दर -		641.81								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	हे	44.00	28239.84	0.00	204.86	1,31,483.76	23,047.20	1,31,483.76	23,047.20		
2	सामग्री (पीच, पत्रक, कम्प्यूटर खाद डी.ए.पी / यूरिया/जैविक किटनाशक आदि)(4.5/रु प्रति पीछा)	हे	0.00	0.00	4950.00	0.00					2,34,260.55	50,113.20
3	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	234260.65	0.00	365.00	2,34,260.55	36,666.00	50,113.20	50,113.20		
4	गुण पीछों का प्रतिस्थापन (7% पीछे/हो, प्रति पीछा मानव दिवस 0.06 एवं प्रति पीछा सामग्री 108 रुको)	हे	4.50	2888.15	7875.00	20.95	13,447.20				1,47,919.23	
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.045 मानव दिवस प्रति पीछा)		49.50	31769.80	0.00	230.47	1,47,919.23				31,181.23	31,181.23
6	विशेष कार्य (अनुभवक मूल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				6597.00	0.00					6,271.11	6,271.11
7	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2971.58	0.00					6,271.11	6,271.11
	कुल -		463.00	287158.03	22493.58	821.29	5,27,110.85	98,165.54			6,29,878.38	

(E) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2029-30		मजदूरी दर -		738.08								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति पीछा)	हे	22.00	18237.76	0.00	102.43	75,603.01	23,047.20	75,603.01	23,047.20		
2	सामग्री (पीच, पत्रक, कम्प्यूटर खाद डी.ए.पी / यूरिया/जैविक किटनाशक आदि)(4.5/रु प्रति पीछा)	हे	0.00	0.00	4950.00	0.00					2,69,399.20	34,753.50
3	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	269399.20	0.00	365.00	2,69,399.20	24,444.00	34,753.50	34,753.50		
4	गुण पीछों का प्रतिस्थापन (7% पीछे/हो, प्रति पीछा मानव दिवस 0.06 एवं प्रति पीछा सामग्री 108 रुको)		3.00	2214.24	5250.00	13.97	10,309.50				17,522.86	17,522.86
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.045 मानव दिवस प्रति पीछा)				3763.50						17,522.86	17,522.86
6	विशेष कार्य (अनुभवक मूल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				3288.32						15,310.42	15,310.42
7	वेतन का म. (5% of construction)				2878.51	0.00					3,563.12	3,563.12
8	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	20130.33	481.49	3,55,311.71	83,877.59	4,39,189.30	4,39,189.30		
	कुल -		390.00	287851.20	20130.33	481.49	3,55,311.71	83,877.59			4,39,189.30	

(F) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2030-31		मजदूरी दर -		848.79								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	309808.35	0.00	365.00	3,09,808.35	3,098.08	3,09,808.35	3,098.08		
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3098.08	0.00					3,12,906.43	
	कुल -		365.00	309808.35	3098.08	365.00	3,09,808.35	3,098.08			3,12,906.43	

(G) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2031-32		मजदूरी दर -		976.11								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	358280.15	0.00	365.00	3,58,280.15	3,562.80	3,58,280.15	3,562.80		
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3562.80	0.00					3,59,842.95	
	कुल -		365.00	358280.15	3562.80	365.00	3,58,280.15	3,562.80			3,59,842.95	

(H) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2032-33		मजदूरी दर -		1122.53								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	409723.45	0.00	365.00	4,09,723.45	4,097.23	4,09,723.45	4,097.23		
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4097.23	0.00					4,13,820.68	
	कुल -		365.00	409723.45	4097.23	365.00	4,09,723.45	4,097.23			4,13,820.68	

(I) सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2033-34		मजदूरी दर -		1290.91								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	471182.15	0.00	365.00	4,71,182.15	4,711.82	4,71,182.15	4,711.82		
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4711.82	0.00					4,75,893.97	
	कुल -		365.00	471182.15	4711.82	365.00	4,71,182.15	4,711.82			4,75,893.97	

(J) सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2034-35		मजदूरी दर -		1484.54								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	541857.10	0.00	365.00	5,41,857.10	5,418.57	5,41,857.10	5,418.57		
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	5418.57	0.00					5,47,275.67	
	कुल -		365.00	541857.10	5418.57	365.00	5,41,857.10	5,418.57			5,47,275.67	

(K) सम्पोषण कार्य (ग्यारहवां वर्ष) 2035-36		मजदूरी दर -		1707.23								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	623138.95	0.00	365.00	6,23,138.95	6,231.39	6,23,138.95	6,231.39		
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	6231.39	0.00					6,29,370.34	
	कुल -		365.00	623138.95	6231.39	365.00	6,23,138.95	6,231.39			6,29,370.34	

(L) सम्पोषण कार्य (बारहवां वर्ष) 2036-37		मजदूरी दर -		1963.31								
क्रम सं.	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे	इकाई	मानव दिवस/हे	मजदूरी	सामग्री/हे	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति		
1	पीछों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	718608.15	0.00	365.00	7,18,608.15		7,18,608.15			


DEEPAK LENKA
Unit Head
Mindalco Industries Ltd.
Chakla Coal Mines Chandwa

2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		7166.08	0.00		7,166.08	7,166.08	
	कुल -		365.00	716608.15	7166.08	365.00	7,16,608.15	7,166.08	7,23,774.23	
(M)	सम्पोषण कार्य (तेरहवां वर्ष) 2037-38	मजदूरी दर -			2257.81					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछी की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	824100.85	0.00	365.00	8,24,100.85	-	8,24,100.85	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		8241.01	0.00	-	8,241.01	8,241.01	
	कुल -		365.00	824100.85	8241.01	365.00	8,24,100.85	8,241.01	8,32,341.86	
(N)	सम्पोषण कार्य (चौदहवां वर्ष) 2038-39	मजदूरी दर -			2596.48					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछी की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	947715.20	0.00	365.00	9,47,715.20	-	9,47,715.20	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		9477.15	0.00	-	9,477.15	9,477.15	
	कुल -		365.00	947715.20	9477.15	365.00	9,47,715.20	9,477.15	9,57,192.35	
(O)	सम्पोषण कार्य (पन्द्रहवां वर्ष) 2039-40	मजदूरी दर -			2985.95					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछी की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	1089871.75	0.00	365.00	10,89,871.75	-	10,89,871.75	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		10898.72	0.00	-	10,898.72	10,898.72	
	कुल -		365.00	1089871.75	10898.72	365.00	10,89,871.75	10,898.72	11,00,770.47	
(P)	सम्पोषण कार्य (सोलहवां वर्ष) 2040-41	मजदूरी दर -			3433.84					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछी की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	1253351.60	0.00	365.00	12,53,351.60	-	12,53,351.60	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		12533.52	0.00	-	12,533.52	12,533.52	
	कुल -		365.00	1253351.60	12533.52	365.00	12,53,351.60	12,533.52	12,65,885.12	
(Q)	सम्पोषण कार्य (सत्रहवां वर्ष) 2041-42	मजदूरी दर -			3948.92					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछी की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	1441355.80	0.00	365.00	14,41,355.80	-	14,41,355.80	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		14413.56	0.00	-	14,413.56	14,413.56	
	कुल -		365.00	1441355.80	14413.56	365.00	14,41,355.80	14,413.56	14,55,769.36	
(R)	सम्पोषण कार्य (अठारहवां वर्ष) 2042-43	मजदूरी दर -			4541.25					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछी की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	1657556.25	0.00	365.00	16,57,556.25	-	16,57,556.25	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		16575.56	0.00	-	16,575.56	16,575.56	
	कुल -		365.00	1657556.25	16575.56	365.00	16,57,556.25	16,575.56	16,74,131.81	
(S)	सम्पोषण कार्य (उनीसवां वर्ष) 2043-44	मजदूरी दर -			5222.44					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछी की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	1906190.80	0.00	365.00	19,06,190.80	-	19,06,190.80	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		19061.91	0.00	-	19,061.91	19,061.91	
	कुल -		365.00	1906190.80	19061.91	365.00	19,06,190.80	19,061.91	19,25,252.71	
(T)	सम्पोषण कार्य (बीसवां वर्ष) 2044-45	मजदूरी दर -			6005.81					
क्रम सं०	कार्य की विवरणी/इकाई प्रति हे०	इकाई	मानव दिवस/हे०	मजदूरी	सामग्री/हे०	कुल मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	पीछी की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	2192120.65	0.00	365.00	21,92,120.65	-	21,92,120.65	
2	लेबर सेस का मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00		21921.21	0.00	-	21,921.21	21,921.21	
	कुल -		365.00	2192120.65	21921.21	365.00	21,92,120.65	21,921.21	22,14,041.86	
	कुल -						1,78,57,533.83	24,47,387.87	2,07,96,918.00	

कार्य विवरणी	कुल प्राक्कलित राशि
अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2025-26	17,09,245.84
सम्पूर्ण कार्य (द्वितीय वर्ष) 2026-27	21,86,809.91
सम्पूर्ण कार्य (तृतीय वर्ष) 2027-28	9,51,125.09
सम्पूर्ण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2028-29	8,23,276.39
सम्पूर्ण कार्य (पंचम वर्ष) 2029-30	4,39,189.30
सम्पूर्ण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2030-31	3,12,908.43
सम्पूर्ण कार्य (सप्तम वर्ष) 2031-32	3,59,842.95
सम्पूर्ण कार्य (अष्टम वर्ष) 2032-33	4,13,820.88
सम्पूर्ण कार्य (नवम वर्ष) 2033-34	4,75,893.97
सम्पूर्ण कार्य (दशम वर्ष) 2034-35	5,47,275.87
सम्पूर्ण कार्य (ग्यारहवां वर्ष) 2035-36	6,29,370.34
सम्पूर्ण कार्य (बारहवां वर्ष) 2036-37	7,23,774.23
सम्पूर्ण कार्य (तेरहवां वर्ष) 2037-38	8,32,341.86
सम्पूर्ण कार्य (चौदहवां वर्ष) 2038-39	9,57,192.35
सम्पूर्ण कार्य (पन्द्रहवां वर्ष) 2039-40	11,00,770.47
सम्पूर्ण कार्य (सोलहवां वर्ष) 2040-41	12,65,885.12
सम्पूर्ण कार्य (सत्रहवां वर्ष) 2041-42	14,55,769.36
सम्पूर्ण कार्य (अठारहवां वर्ष) 2042-43	16,74,131.81
सम्पूर्ण कार्य (उनीसवां वर्ष) 2043-44	19,25,252.71
सम्पूर्ण कार्य (बीसवां वर्ष) 2044-45	22,14,041.86
योग -	20796915.94
योग -	2,07,96,918.00

(दो करोड़ सात लाख पचास हजार नौ सौ सोलह) मात्र।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या- 01-यो0ब0-30/2020-21 दिनांक-08.08.2024 द्वारा स्वीकृत दर के आधार पर एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम संख्या-13 के अनुसार 20 वर्षीय प्राक्कलन तैयार किया गया है।

समर्थित

 वन क्षेत्र प्रबंधिका, सिमडेगा वन क्षेत्र।


 वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।
 DEEPAK LENKA
 Unit Head
 Mindalco Industries Ltd.
 Chakia Coal Mines Chandwa

CHAPTER 2

COMPENSATORY AFFORESTATION

2.1 Compensatory afforestation (CA): is one of the most important requirement/conditions for prior approval of the Central Government for diversion of forest land for non-forest purposes and the purpose of compensatory afforestation (CA) is to compensate the loss of 'land by land' and loss of 'trees by trees'. Any proposal submitted by the State/UT Government seeking prior approval of Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 shall have a comprehensive scheme for compensatory afforestation, duly approved by the competent authority of the concerned State/UT administration.

2.2 Land for CA:

- (i) Provisions given under sub-rule (1) rule 13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, provides that primarily, the compensatory afforestation, in lieu of forest land proposed for diversion, has to be raised over equivalent non-forest land which is not under the management and administrative control of the Forest Department.
- (ii) The non-forest lands afforested as per the provisions Accredited Compensatory Afforestation scheme i.e. patch of non-forest land involving minimum area of 10 ha with 0.4 vegetation density and minimum five years old afforestation can be used as CA in lieu of diversion of forest land. In case of lands owned by the Government agencies, such lands containing ACA be notified without transferring and mutating their ownership. Revenue, if any, earned from such lands from various operations such as thinning, felling, and selling of carbon credits and other benefits will also accrue to the land owning agency. Existing plantation which meets the criteria of ACA can also be swapped for CA in lieu of diversion of forest land.
- (iii) The State Government/UT Administrations may create a Land Bank of non-forest lands with minimum size of 25 ha under the administrative control of the Department of Forest. In case, the Land Bank is in continuity of a land declared or notified forest land, Protected Area, Tiger Reserve or within a designated tiger corridor or a designated/ identified wildlife corridor, there shall be no restriction on size of the land. The lands covered under accredited compensatory afforestation may be included in the Land Bank.
- (iv) In exceptional circumstances, when the suitable non-forest land for raising compensatory afforestation is not available and a certificate to this effect is given by the State/UT Government, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land, which is twice in extent to the forest area proposed for diversion in favour of Central Public Sector Undertaking and for captive coal blocks of State Public Sector Undertaking on case to case basis. However, this relaxation will not be available in case the project of Central Government undertaking or State Government undertakings involves acquisition of non-forest land by the respective agencies.


DEEPAK LENKA
Unit Head
Minalco Industries Ltd.
Chakla Coal Mine Chandwa

- (v) No CA will be charged in respect of re-diversion of forest land within the RoW of roads which have already been diverted for non-forestry purposes and are located outside the Protected Areas. In case, the proposed area falls in the RoW of the road is passing through a Protected Area or Tiger Reserves, requisite permissions shall be obtained from the Standing Committee of the State Board for Wildlife.
- (vi) No CA will be charged in lieu of repair and maintenance or blacktopping of the forest roads constructed prior to 1980 which are located outside the Protected Areas.
- (vii) During the transfer of approval granted under the The Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam from erstwhile agency to new lessee by the State/UT Governments, the provisions of CA, if not realized earlier, will be applicable in respect of broken up forest area before the commencement of Act, 1980 which are continued to be under the possession of the user agency, in case the CA has not been raised earlier.
- (viii) In respect of diversion of forest land for safety zone along around a mine, the provisions of the raising compensatory afforestation, as applicable in the entire forest area proposed for diversion, will be applicable in lieu of forest land located in the safety zone as well.
- (ix) Non-forest mined out lands which have been reclaimed technically and restored biologically shall be accepted for raising compensatory afforestation. Once accepted for CA, such lands need to be notified under the Indian Forest Act, 1927, essentially to bring them under the management and administrative control of State Forest Department. An undertaking to this effect shall be submitted by the respective user agency along with their respective diversion proposal, in lieu of which such restored lands will be used for raising CA.
- (x) Compensatory afforestation may be taken up on non-forest lands (NFL) which are under jurisdiction of DDA. Since such areas will support afforestation those need to be declared as protected forest (PF) under relevant provisions of Indian Forest Act, 1927 or state specific Act, if any. However, the ownership of these compensatory afforestation patches need not be transferred/mutated in the name of State Forest Department and ownership of DDA may be allowed.
- (xi) Isolated patches having area less than 5 ha are difficult to manage as forests. Hence, no non-forest land, having area less than 5 ha area shall be accepted for CA purpose. However, land parcels, if contiguous to RF/PF, can be accepted for CA irrespective of their sizes, subject to their suitability for CA. In case of forest area under diversion is less than 5 ha, efforts should be made to identify non-forest land contiguous to some RF/PF. User agency shall fence all such land parcels properly and mutate the same in the name of Forest Department before handing them over to the Forest Department. All such land parcels shall be compact (i.e., without any pockets of habitation or non-forest land) and free from any encumbrances. Land parcels, if contiguous to National Parks/Wildlife Sanctuaries, can be accepted for CA irrespective of their sizes and suitability for CA, subject to condition that the same shall be mutated in the name of Forest Department, notified as RF/PF and thereafter merged with concerned National

Park/Wildlife Sanctuary with suitable declaration, prior to stage-II approval by MoEF&CC.

- (xii) In cases, where land proposed to be utilized for CA is proposed to be acquired by the user agency himself through outright purchase from the individual owners, registered agreement to sell from each of the present owner of the land identified for CA stating their willingness to sell the land to the user agency for its transfer and mutation in favour of the State Forest Department for creation of CA will be submitted along with the proposal seeking prior approval of the Central Government under the Act. Similarly, in cases where non-forest land or the revenue forest land, proposed for CA, is to be provided by the State Government, a letter from the concerned competent authority in the State Government or Union territory Administration stating that land identified for CA will be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for creation of CA immediately after receipt of 'in-principle approval shall be submitted along with the proposal.
- (xiii) The authorities in the State should ensure that land proposed for raising CA in lieu of proposed diversion of forestland is of good quality which is able to generate and compensate the Ecosystem Goods and Services (EG&S) lost from non-forestry use and, as far as permissible, such lands should be selected in close proximity of the area being diverted or the existing forest areas to ease their management by the Forest Department and ensure their protection from likely encroachment in future, as under:-
 - (a) Potential areas which can generate and compensate the EG&S foregone from the non-forestry use of forest land to the maximum extent possible should be identified and offered for raising CA.
 - (b) Concerned Regional Office of the Ministry shall certify the suitability of land offered for CA in lieu of forest land proposed for diversion in terms of its vicinity to the area being proposed for diversion and/or contiguity with the existing forest area and will ensure that manageability of such CA land has been taken care of for future.
- (xiv) Provisions for the requirement of land related to compensatory afforestation, as provided in the rule 13 and rule 14 and Schedule-II appended to the Van (Sanrakshan Evam Smvardhan) Rules, 2023 shall be complied with by the various users.

2.3 Elements of Schemes for Compensatory Afforestation: The scheme for CA, to be submitted/uploaded at the time of applying for diversion of forest land for non-forest purpose, should be site specific, and include the following details: -

- (i) Details of non-forest or degraded forest land, along with land kisam (NF land) forest type, crown density, etc. (degraded forest) identified for raising CA.
- (ii) Geo-referenced (Polygon map with DGPS coordinates).
- (iii) KML file of CA site in polygon shape to be uploaded online.

- (iv) Detailed work schedule including year wise operations including saplings to be planted along with soil & moisture conservation, regeneration cleaning, silvicultural and other activities as prescribed in the working plan, species to be planted (heterogeneous in nature consisting of indigenous species), including maintenance for 10 years and annual total costs in conformity with cost norms of the State/UT and relevant guidelines, issued by the Central Government. In case the applicable land required for raising the compensatory afforestation is more than 10 ha, the NFL should be made available in a single consolidated patch or contiguous to the forest land. In such cases, patches of non-forest land of smaller area, not contiguous to forest land, shall also be accepted, however, for every patch of less than 5 ha, the maintenance of 20 years shall be charged from the user agency.
- (v) Agency responsible for afforestation.
- (vi) Details of proposed monitoring mechanism, including infrastructural facility, if any required by the State/UT Govt.
- (vii) Technical and administrative approvals from the competent authority.
- (viii) The cumulative achievement of the State/UT Governments in respect of compensatory afforestation.
- (ix) Undertaking by the UA to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation, Additional CA and/or penal compensatory afforestation as well as cost for protection and regeneration of Safety Zone, etc. as per the scheme (undertaking to be enclosed).
- (x) Updation of changed CA land, KML file, CA land polygon, toposheet, site suitability certificate and related documents which are to be uploaded on Parivesh portal after in-principle approval shall require approval of the Ministry.
- (xi) **Strengthening of Integrated Concurrent Monitoring and Evaluation System (i-CCMES) or e-Green Watch:-** All States and UTs shall ensure that all polygons pertaining to plantations are updated with correct and precise information with respect to their spatial attributes failing which no APOs/diversion proposals under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 will be entertained by the MoEF&CC.

2.4 Accredited Compensatory Afforestation: As per the provisions of sub rule (5) of rule 14 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 a proactive mechanism for ACA shall be established by the Central Government as per guidelines given below:

(1) Background

- (i) Compensatory afforestation (CA) is one of the crucial components facilitating the process of decision making under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. It is mandatory that all proposals requiring prior approval of the Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam,


DEEPAK LENKA
 Unit Head
 Hindalco Industries Ltd.
 Chakla Coal Mines Chandwa